



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082022-238486
CG-DL-E-31082022-238486

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]
No. 417]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2022/भाद्र 9, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2022/BHADRA 9, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-20/टी (माइग्रेशन-एन).—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2021 का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) के अधीन उपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्यांक, फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-20/टी(माइग्रेशन-एन), तारीख 6 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित हो सकने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 8 सितम्बर, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित 92 की उप धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्;

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) में,-

(क) विनियम 4 के उप विनियम (4) की सारणी 1 के क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

"8.	एंटीमनी	0.04
9.	थैलिक एसिड, बिस (2-एथिलहेक्सिल) एस्टर (डीईएचपी)	1.5"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./237/2022-23]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में, अधिसूचना संख्यांक फा.सं. 1-95/स्टैंडर्ड्स/पैकेजिंग/एसपी (एलएंडसी/ए)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 24 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए थे:

1. फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-08/ए-1.2019/एन-01, तारीख 25 जनवरी, 2022।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2022

F. No. Std/SP-20/T(Migration-N).—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2021, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number, F.No. Std./SP-20/T(Migration-N), dated the 6th september,2021 in the Gazette of India, Extraordinary, part III, Section 4, for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notifications were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the **8th September, 2021;**

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, namely: -

Regulations

1. Short title and commencement- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging) Second Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 (herein after refer as said regulations), -

(1) In sub-regulation (4) of regulation 4, in Table 1, after Sl. No. 7 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

“8.	Antimony	0.04
9.	Phthalic acid, bis (2- ethylhexyl) ester (DEHP)	1.5”

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./237/2022-23]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number File No. 1-95/Std./Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017, dated the 24th December, 2018 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. F. No. Std/SP-08/A-1.2019/N-01, dated the 25th January, 2022.